न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 26/2015

श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नि श्री चेतन स्वरूप, निवासी–शिव नगर, बिहारी गंज, अजमेर ।
.......अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री भींयाराम चौधरी — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी — राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 23.08.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम चांदियावास, तहसील व जिला अजमेर के आराजी खसरा नं. 398 रकबा 1.15 हैक्टयर किस्म गै. मु.रास्ता भूमि में से रकबा 0.16 हैक्टयर भूमि पर अपीलांट द्वारा नाजायज चना की काश्त कर अवैध रूप से कब्जा किये जाने पर पटवारी हल्का चांदियावास द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध तहसीलदार अजमेर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अपीलांट के विरूद्ध बेदखली शास्ती एवं फसल निलामी के आदेश दिनांक 12.03.2015 को पारित किये गये। अधिनस्थ न्यायालय के इसी आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों0 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम चांदियावास, तहसील व जिला अजमेर के आराजी खसरा नं. 398 रकबा 1.15 हैक्टयर किस्म गै.मु.रास्ता भूमि में से रकबा 0.16 हैक्टयर भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के लगती हुई सरकारी भूमि है जो मौके पर खाली पडी हुई है। तहसीलदार अजमेर द्वारा पटवारी हल्का चांदियावास, तहसील व जिला अजमेर की एक पक्षीय रिपोर्ट पर साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है। अपीलांट का स्वय की खरीदशुदा आराजी पर ही

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

23/8/16

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस वस्तुस्थिति को नजर अन्दाज कर विवादित आराजी का भौतिक सत्यापन/पैमाईश कराये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपिय आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2015 निरस्त फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम चांदियावास, तहसील व जिला अजमेर के विवादित आराजी खसरा नं. 398 रकबा 1.15 हैक्टयर किस्म गै.मु.रास्ता भूमि में से रकबा 0.16 हैक्टयर भूमि पर अपीलांट द्वारा नाजायज चना की काश्त कर अवैध रूप से कब्जा किये जाने पर पटवारी हल्का चांदियावास द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध तहसीलदार अजमेर को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट दिनांक 26.11.'2013 को जरिये अभिभाषक अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित आये। अपीलान्ट द्वारा विवादित सिवायचक गै.मु. रास्ता भूमि पर चना की काश्त कर अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने कारण आक्षेपीय आदेश दिनांक 12.03.2015 पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्ण रूपेण न्याय संगत की गई है, इसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम चांदियावास, तहसील व जिला अजमेर के विवादित आराजी खसरा नं. 398 रकबा 1.15 हैक्टयर किस्म गै.मु.रास्ता भूमि में से रकबा 0.16 हैक्टयर भूमि पर चना की काश्त कर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। राजस्व रेकार्ड में भूमि गै0मु0 रास्ता दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बाद विधिवत सुनवाई का नोटिस देकर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.08.2016 को सरे इजलास सुनाया गया

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

23/8/2016

(गौरव गोयल)

जिला कलक्टर,

अजमेर

Scanned by CamScanner